फैक्स सीट

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

2. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)

संरक्षित वन भूमि – 7.32 है0

3. प्रस्तावक विभाग का नाम – अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

4. वन प्रभाग का नाम – हरिद्वार वन प्रभाग।

5. प्रस्तावित बाइंडिग किया गया है – हाँ/नहीं

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है – हाँ/नहीं

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1 ,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। – हाँ/नहीं

8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। – हाँ/नहीं

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। – हाँ/नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/ प्रमाण पत्र संलग्न है। – हाँ/नहीं

11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। – हाँ/नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया है। – हाँ/नहीं

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – हाँ/नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – हाँ/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव संलग्न है। – हाँ/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। – हाँ / नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। – हाँ / नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्यजीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। – हाँ / नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का हिस्सा है यदि हो तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। – लागू नहीं – हाथी कोरिडोर का हिस्सा नहीं है। – हाँ / नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। – हाँ / नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) संलग्न है। – हाँ / नहीं

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगो से भरा गया है। – हाँ / नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। – हाँ / नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को उल्लघंन हुआ है। – हाँ / नहीं

25. यदि उल्लघंन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये – हां / नहीं / लागू नहीं

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। – हाँ / नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) – हाँ / नहीं मार्ग पूर्व निर्मित है।

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है। (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) – हाँ / नहीं

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है। – हाँ / नहीं

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है। – हाँ / नहीं लागू नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हाँ/नहीं लागू नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। – हाँ/नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं। यदि छाया प्रतियां संलग्न की गइ ह ता क्या व सत्यापित हैं। – हाँ/नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है। – हाँ/नहीं

34. वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। – हाँ/नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है। – हाँ/नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

(प्रपत्र–2)

परिशिष्ठ

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2
के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

(क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	– जनपद हरिद्वार में रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और से उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	– 1.50000 का मानचित्र संलग्न है।
(ग) परियोजना की लागत।	– 6685.01 लाख में
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	– सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु
(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	– संलग्न है।
(च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना	– क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	– 1– संरक्षित वन भूमि – 7.32 है0
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	–
(क) परिवारों की संख्या	– शून्य
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	– शून्य
(ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	– शून्य
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	– नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैंयार की गई योजना के	– क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है एवं पुनः वनीकरण की वचनबद्धता संलग्न है।

अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जायें)।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। – निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

दिनांक : 03.06.2022
स्थान : देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या .....
प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

	प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 74
7. परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii) जिला	हरिद्वार
iii) वन विभाग	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	7.32 है0
v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
vi) हरियाली का घनत्व	कार्ययोजना में उल्लेख नहीं है।
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आ0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न की जाए।	संलग्न है।
viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	रिक्त
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है।
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए)	नहीं है।
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है. यदि हॉ तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा – i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अतिक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्ड़ों की	योजना संलग्न है।

संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड़ों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड़ों का आकार। ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अतिक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय। v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभीनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतःउपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12- प्रभाग/जिला प्रोफाईल i) जिला का भौगोलिक क्षेत्र। ii) जिला का वन क्षेत्र। iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	 2993.20 वर्ग किमी0 36951.11 है0 4446.17 है0 5513.40 है0
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर 2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	– 4733.70 है0 779.70 है0
13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित क्षेत्र रूड़की–लक्सर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण से सम्बन्धित है। जिससे जनता को सुगम यातायात करते हेतु सुविधा उपलब्ध होगी।

दिनांक 18/5/22

स्थान – हरिद्वार

हस्ताक्षर

नाम – (धर्म सिंह मीणा) DEEPAK SINGH

उप वन संरक्षक

हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

भाग – 111

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट रूप में संलग्न करें। 15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। 16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग – IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।	

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग – V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद पर नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग–II या भाग– III या भाग IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर